उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में नैनीताल

रिट याचिका (एस0एस) संख्या 925 ऑफ 2021 में

कपिल कुमार और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बनाम् ।

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

उपस्थित

श्री शोभित सहारिया, याचिकाकर्ताओं के वकील।

श्री नारायण दत्त, राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री विपुल शर्मा, निजी उत्तरदाताओं के वकील।

रिट याचिका ;एस0एस0 संख्या 1194 ऑफ 2021

प्रवीण कुमार ..... याचिका

बनाम्।

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

वर्तमान

श्री दीपक शर्माए याचिकाकर्ता के वकील।

श्री नारायण दत्तए राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री विपुल शर्माए निजी उत्तरदाताओं के वकील।

रिट याचिका (एस0एस) संख्या 959 2021

अंकित कुमार और अन्य .....याचिकाकर्ता

बनाम्

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

उपस्थित

श्री शोभित सहारियाए याचिकाकर्ताओं के वकील।

श्री नारायण दत्तए राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री विपुल शर्माए निजी उत्तरदाताओं के वकील।

रिट याचिका (एस0एस) संख्या 961 2021

विशाल सैनी और अन्य ..... याचिकाकता

बनाम्

उत्तराखंड राज्य और अन्य.....प्रतिवादी

उपस्थित

श्री शोभित सहारियाए याचिकाकर्ताओं के वकील।

श्री नारायण दत्तए राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री विपुल शर्माए निजी उत्तरदाताओं के वकील।

2

रिट याचिका (एस0एस) संख्या 952 ऑफ 2021

रंजन संधियान और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

उपस्थित

श्री शोभित सहारियाए याचिकाकर्ताओं के वकील।

श्री नारायण दत्तए राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री विपुल शर्माए निजी उत्तरदाताओं के वकील।

निर्णय

माननीय रवींद्र मैठाणी, जे. (मौखिक) चूंकि, इन रिट याचिकाओं में तथ्यों और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उनका निर्णय सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

3. याचिकाकर्ता उन आदेशों से व्यथित हैं जिनके द्वारा उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी याचिकाओं में उनकी नियुक्ति सोसायटी की प्रबंधन समिति ने एक प्रस्ताव द्वारा की थी। वे पद पर आ गए और पूरी ईमानदारी से इस पर काम कियाए लेकिनए आक्षेपित आदेशों के अनुसारए उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। 2021 के डब्ल्यूपीएसएस नंबर 925 में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव से पहले विज्ञापन जारी किया गया था। मामलों की स्थिति इस प्रकार है 2021 का डब्ल्यूपीएसएस नंबर 925 (1) प्रस्ताव की तिथि जिसके द्वारा पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था - 21.08.2020 है।

(2)विज्ञापन दिनांक - 25.08.2020 (3) प्रतिवादी संख्या 5 की प्रबंधन समिति के निर्णय की तिथि जिसके द्वारा आवेदन पर विचार किया गया और याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया- 21.09.2020

(4) नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि - 25.09.2020

(5) शामिल होने की तिथि- 01.10.2020।

(6) प्रतिवादी क्रमांक 5 की प्रबंध समिति द्वारा नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव की तिथि - 28.12.2020

(7) 15.01.2021 को नियमित कर्मचारी के रूप में शामिल हुए। (8) दिनांक जब सेवाएं समाप्त की गईं 29.06.2021 और परिणामी आदेश दिनांक 03.07.2021 और 13.07.2021 ये सभी आदेश विवादित हैं।

2021 का डब्ल्यूपीएसएस संख्या 961 (1) प्रतिवादी संख्या की प्रबंधन समिति के संकल्प की तिथि। 5 याचिकाकर्ता को संलग्न करने के लिए- 10.04.2020

(2) शामिल होने की तिथि- 29.04.2020।

(3) याचिकाकर्ता की सेवा नियमित करने हेतु प्रतिवादी क्रमांक 5 की प्रबंधन समिति के निर्णय की तिथि 28 09 2020।

(4) दिनांक जब याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण के बाद कार्यभार ग्रहण किया . 01.10.2020।

(5) वह तारीख जब सेवाएँ समाप्त की गईं 19.07.2021 एवं परिणामी आदेश दिनांक 20.07.2021

इसमें ये दोनों आदेश विवादित हैं।

2021 की डब्ल्यूपीएसएस संख्या 959 (1) प्रतिवादी संख्या की प्रबंधन समिति के संकल्प की तिथि। 5 याचिकाकर्ताओं को संलग्न करने के लिए- 28.09.2020

(2) ज्वाइनिंग की तारीख - 01.10.2020

(3) याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के लिए प्रतिवादी संख्या 5 की प्रबंधन समिति के संकल्प की तारीख– 12.01.2021A

(4) शामिल होने की तिथि- 30.01.2021

(5) समाप्ति तिथि- 19.07.2021 एवं परिणामी आदेश दिनांक 20.07.2021 ये दोनों आदेश दिनांक 19.07.2021 और परिणामी आदेश दिनांक 20.07.2021 विवादित हैं।

2021 का डब्ल्यूपीएसएस संख्या 952 (1) प्रतिवादी संख्या 5 की समिति के प्रबंधन का संकल्प – 09.01.2021।

(2) नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि- 20.01.2020.

(3) शामिल होने की तिथि- 27.01.2021.

(4) समाप्ति तिथि- 19.07.2021 एवं परिणामी आदेश दिनांक 20.07.2021 ये दोनों आदेश विवादित हैं।

2021 का डब्ल्यूपीएसएस नंबर 1194 (1) प्रतिवादी नंबर की समिति के प्रबंधन के संकल्प की तारीख। 5 याचिकाकर्ता को संलग्न करने के लिए- 12.01.2021 (2) शामिल होने की तिथि–30.01.2021.

(3) समाप्ति तिथि - 19.07.2021 एवं परिणामी आदेश - 20.07.2021.ये दोनों आदेश विवादित हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना था कि कुछ शिकायतों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के लिए शिकायतें कभी नहीं दी गईं। विद्वान वकील ने अपनी दलीलों में निम्नलिखित बिंदु भी उठाएय:- .

(i) याचिकाकर्ताओं को किसी भी जांच में भाग लेने का कोई अवसर नहीं दिया गया।

(ii) यदि कोई जांच आयोजित की गई थी जो याचिकाकर्ताओं की पीठ पर आयोजित की गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि विवादित आदेश के परिणाम गंभीर हैं, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसके बुरे नागरिक परिणाम होते हैं।

(iii) आक्षेपित आदेश में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 16.12.2018 का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह तर्क दिया गया है कि उत्तराखंड सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 (“अधिनियम’’)के तहत रजिस्ट्रार को ऐसी शक्तियां नहीं दी गई हैं। रजिस्ट्रार की शक्तियां अधिनियम की धारा 120 के तहत सीमित हैं।

(iv) आक्षेपित आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है।

(v) याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने वाले आदेश स्वतः निहित होने चाहिए। इसमें जो नहीं लिखा है उसे पढ़ने के लिए इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता।

5. दरअसल इस मामले पर पहले भी बहस हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया था। हुआ यूं कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से जानना चाहा कि यदि उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया होता तो याचिकाकर्ताओं का स्पष्टीकरण क्या होता। उस स्तर पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने समय मांगा और अब 2021 के डब्ल्यूपी (एस/एस) संख्या 1194 को छोड़कर सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरक हलफनामा दायर किया गया है। संबंधित

पूरक हलफनामे मेंए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

6. अब, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपने तर्क में कुछ और बिंदु उठाए। वे इस प्रकार हैः—

(i) दिनांक 16.10.2018 की अधिसूचना के अनुसार सोसायटियों में नियुक्ति हेतु प्रक्रिया दी गई है। इसमें प्रावधान है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, जो अपनी मंजूरी देगा। मौजूदा मामले में प्रस्तावों को रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन किया गया है।

(ii) रजिस्ट्रार एक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, लेकिन अधिनियम की धारा 126 के तहत रजिस्ट्रार संकल्प को रद्द कर सकता है और ऐसा करने से पहले वह संकल्प को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन, यह तर्क दिया गया है कि मौजूदा मामले में रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा गया थाए, बल्कि उन्हें मंजूरी दे दी गई थी।

अब याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां रद्द नहीं की जा सकती थीं। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति रद्द करने का आदेश कानून की नजर में खराब है।

7. 2021 के डब्ल्यूपी (एस/एस) नंबर 1194 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री दीपक शर्मा ने वकील श्री शोभित सहारिया के तर्क को अपनाया।

8. विद्वान राज्य वकील स्टाफिंग पैटर्न का उल्लेख करेंगे जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तराखंड द्वारा पत्र संख्या द्वारा जारी किया जाता है। सी.128/पीएसीएस/स्टा/2018.19 दिनांक 16.10.2018("अधिसूचनादिनांक 16.10.2018") यह तर्क देने के लिए कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 में दी गई है। तात्कालिक मामले में इसका पालन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वास्तव में अधिसूचना संख्या के अनुसार 206/ एफ एंड आरडी/सहकारिता/2001/देहरादून दिनांक 23.07.2001 के तहत रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 122 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदनुसार रजिस्ट्रार ने 16.10.2018 को प्रक्रिया अधिसूचित की, जिसका याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करते समय पालन नहीं किया गया इसलिए विवादित आदेश पारित किए गए, जो कानून के अनुसार हैं।

9. विद्वान राज्य के वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। 2021 के डब्ल्यू0पी0 (एस/एस) संख्या 925 में, अनुतोष अधिनियम की धारा 98 के तहत निहित है और अन्य सभी याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं के पास अधिनियम की धारा 126 के तहत वैकल्पिक प्रभावकारी अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। राज्य के वकील आगे कहेंगे कि वास्तव में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बनाते समय आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है। कोई विज्ञापन जारी नहीं

किया गया क्योंकि विज्ञापन में पदों, योग्यताओं, वेतनमान आदि के सभी विवरण देते हुए व्यापक प्रचार होना चाहिए, जो कि मौजूदा मामले में नहीं किया गया है। प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्तियाँ की गईं, इसलिए जिन आदेशों के द्वारा ऐसी नियुक्तियाँ रद्द की गई है, वे वैध हैं।

10. कैविएटर की ओर से श्री विपुल शर्मा उपस्थित हुए। उनका कहना था कि रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 122 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई हैए जिसका मौजूदा मामले में पालन नहीं किया गया है।

11. तथ्यात्मक स्थिति पर ज्यादा विवाद नहीं ह। इसका वर्णन यहाँ पहले ही किया जा चुका है।

12. 2021 के WP S/S नंबर 925 में याचिकाकर्ताओं का मामला है कि विज्ञापन दिया गया था। कोर्ट थोड़ी देर में इस विज्ञापन पर पलटवार करेगा, लेकिन अन्य रिट याचिकाओं में नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करते समय विज्ञापन तक जारी नहीं किया गया।

13. 2021 के डब्ल्यू0पी0 (एस/एस) नंबर 925 में रजिस्ट्रार के आदेश से नियुक्तियां रद्द कर दी गईं। अन्य याचिकाओं मेंए नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश जिला सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए और परिणामी आदेश प्रबंध निदेशक द्वारा पारित किए गए।

14. अधिनियम की धारा 120 और 122 का संदर्भ दिया गया है। वे इस प्रकार हैंः—

''20. सहकारी समितियों के सचिव प्रबंधक आदि के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। (1) सहकारी समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा (एपेक्स सोसायटी के प्रबंध निदेशक के अलावा जो सरकार द्वारा नामित होगा) सचिव, प्रबंधक, लेखाकार या किसी अन्य अधिकारी के रूप मेंए जिसे सोसायटी द्वारा भुगतान या पारिश्रमिक दिया जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसी योग्यताएं न हों और वह ऐसी सुरक्षा यदि कोई होए प्रस्तुत करता हो जो किसी सहकारी समिति के संबंध में समय.समय पर रजिस्ट्रार द्वारा किसी श्रेणी या समाज का वर्ग से संबध्ति ,निर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के उल्लंघन में नियुक्त कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा अपने कार्यालय से हटाने के लिए उत्तरदायी होगा।

122. सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार। -(1) राज्य सरकार सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के एक वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण के लिए एक प्राधिकरण या प्राधिकारियों का गठन कर सकती है, जो निर्धारित किया जा सकता है, और कर सकती है। ऐसे अधिकारियों या अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों की भर्ती, परिलब्धियों,अनुशासनात्मक नियंत्रण सहित सेवा के नियमों और शर्तों के संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता है और, धारा 70 में निहित प्रावधानों के अधीन, एक सहकारी समिति के कर्मचारी और सोसायटी के बीच विवाद का निपटारा करना होगा।

(2) उप.धारा (1) के तहत बनाए गए नियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे और इस तरह के अनुमोदन के बाद राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे और किसी भी नियम को खत्म कर देंगे जो धारा 121 के तहत बनाया गया हो।

(3) जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं रजिस्ट्रार द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती में संबंधित सोसायटी का अध्यक्ष चयन बोर्ड/समिति का सदस्य होगा।

15. अधिनियम की धारा 120 को पढ़ने से पता चलेगा कि रजिस्ट्रार अधिनियम के तहत सोसायटी में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित कर सकता है। यदि अधिनियम की धारा 120(1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 120(2) परिणाम निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 122 राज्य सरकार को सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण के लिए एक प्राधिकरण या प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देती है।

16. उत्तराखंड राज्य में दिनांक 23.07.2001 की अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 122 के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह अधिसूचना इस प्रकार है :–

''संख्या 206/एफ एंड आरडी सहकारिता/2001 दिनांक देहरादून, 23 जुलाई 2001 अधिसूचना उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (यूपी अधिनियम संख्या XI, 1966) की धारा 21 के साथ पठित धारा 122 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यूपी सामान्य धारा अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904), राज्यपाल यूपी राजपत्र में दिनांक 24.3.1972 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 366.जीए/12.3.36.71, दिनांक 4.3. 1972 को निरस्त करते हुए प्रसन्न हैं। 24.2.1973 जिसमें 1966 के उपरोक्त अधिनियम संख्या Xi के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड के नाम से बनाए गए नियम शामिल हैं। राज्यपाल को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि उक्त अधिनियम की धारा 122 और उसमें बनाए गए नियमों के दायरे में उत्तराँचल की सभी सहकारी समितियाँ उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल, देहरादून द्वारा विनियमित और नियंत्रित की जाएंगी। यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तुरंत लागू होगी।''

17. दिनांक 23.07.2001 की अधिसूचना के अनुसार रजिस्ट्रार ने नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए दिनांक 16.10.2018 की अधिसूचना जारी की। दरअसल 16.10.2018 की इस अधिसूचना में प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 120 का उल्लेख किया गया है जबकि ऐसी व्यवस्था रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 120 के साथ.साथ धारा 122 के तहत भी की जाती है। अधिनियम की धारा 120 के तहत रजिस्ट्रार को अधिनियम के आधार पर ही अधिकार दिया गया है, और अधिनियम की धारा 122 के तहत रजिस्ट्रार को सहकारी समितियों के कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि

के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। अधिसूचना दिनांक 23.07.2001 के आधार पर।

18. अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 में सोसायटियों में नियुक्ति हेतु क्रमांक 8 के अंतर्गत प्रक्रिया दी गयी है। इसके अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिएः–.

(i) वास्तविक रिक्तियों के मामलों में प्रबंधन समिति प्रशासक या प्रशासनिक समिति रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रस्ताव जिला सहायक रजिस्ट्रार को भेजेगी।

(ii) जिला सहायक रजिस्ट्रार रिक्तियों को भरने के औचित्य से संतुष्ट होने पर अपनी स्पष्ट सिफारिशों के साथ प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए उप रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।

(iii) उप रजिस्ट्रार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद रिक्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या वेतनमान शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा अधिमान्य योग्यता आरक्षण स्थिति और नियुक्ति की प्रक्रिया निर्दिष्ट होगी।

19. दिनांक 16.10.2018 की अधिसूचना में एक चयन समिति का भी गठन किया गया है। इसके अनुसार चयन समिति का गठन निम्नलिखित होगाः–

(a) संबंधित जिले के जिला सहायक रजिस्ट्रार–अध्यक्ष

(b) संबंधित प ए क ;प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी के अध्यक्ष –सदस्य

(c) क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी का कोई भी राजपत्रित अधिकारी –सदस्य

(d) संबंधित पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी) के सचिव -समन्वयक

20. अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 के क्रमांक 8(2) में भर्ती की प्रक्रिया दी गयी है। इसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट में ऊपर वालों का चयन किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया इस प्रकार होगीः–

;पद्ध चयन के बादए चयन समिति के लिए विज्ञापन आवेदन कार्यवाही सहित संपूर्ण रिकॉर्ड उप रजिस्ट्रार के माध्यम से रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(ii) उप रजिस्ट्रार सावधानीपूर्वक जांच करेगा और उसके बाद अपनी स्पष्ट सिफारिशों के साथ उन्हें रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।

(iii) रजिस्ट्रार की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

21. 2021 के WP S/S नंबर 925 में याचिकाकर्ताओं का मामला है कि एक विज्ञापन जारी किया गया था। यह अनुलग्नक संख्या 4 है। यह विज्ञापन अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 के अनुसार नहीं है। इसमें वेतनमानए भर्ती प्रक्रियाए आरक्षण स्थिति अधिमानी योग्यता और आयु सीमा का खुलासा नहीं किया गया है।

22. 2021 के डब्ल्यूपी ;एसएस संख्या 1194 को छोड़कर याचिकाकर्ताओं के अनुसार याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेज दिया गया था

जिन्होंने इसे मंजूरी दे दी थी। क्या इसका मतलब यह है कि 16 –10–2018 को अधिसूचित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के बावजूद नियुक्ति वैध हैघ् इससे जुड़ा सवाल यह है कि क्या यह अनियमित नियुक्ति है या अवैध नियुक्ति है?

23. वर्तमान मामलों में नियुक्तियाँ अधिसूचना दिनांक 16–10–2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गईं। 2021 के नंबर 925 को छोड़कर विज्ञापन जारी नहीं किए गए थे। 2021 के WP S/S नंबर 925 में जो विज्ञापन जारी किया गया था, वह अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 के अनुसार नहीं था। यह पूर्ण जानकारी प्रकट नहीं करता व प्रक्रिया पारर्दशी नहीं करता है। चयन समिति का गठन आवश्यकतानुसार नहीं किया गया था और उससे पहले वास्तव में रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव प्रबंधन समिति द्वारा जिला सहायक रजिस्ट्रार को नहीं भेजा गया था जैसा कि अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 द्वारा आवश्यक था।

24. अधिसूचना दिनांक 16.10.2018 के अनुसार सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिक्तियों की स्थिति को उप रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक था और इसके बाद ही विज्ञापन जारी किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। प्रावधनित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

25. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जा सकता है कि रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 122 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.07.2001 के आधार पर प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम है जो रजिस्ट्रार को एक निर्धारित प्राधिकारी के रूप में सशक्त बनाता है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती, प्रशिक्षण आदि के संबंध में प्रावधान है। नियुक्तियाँ इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं थीं।

26. यह विधि में सुस्थापित है कि यदि नियुक्ति संवैधानिक योजना के साथ.साथ नियोक्ता द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की जाती है तो भर्ती अवैध होगी।

27. एमपी राज्य और अन्य बनाम ललित कुमार वर्मा ए (2007) 1 एस0सी0सी0 575 के मामले में इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 12 और 13 में चर्चा की है जो इस प्रकार हैंः–

''12. इस प्रकार, जो प्रश्न विचार के लिए उठता है, वह यह होगाः क्या ''अनियमित नियुक्ति'' और ''अवैध नियुक्ति'' के बीच कोई अंतर है? दोनों शर्तों के बीच अंतर स्पष्ट है। इस घटना में नियुक्ति पूरी तरह से उपेक्षा में की गई है संवैधानिक योजना के साथ–साथ नियोक्ता द्वारा बनाए गए भर्ती नियम, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में ष्राज्यष् है भर्ती अवैध होगी; जबकि ऐसे मामले भी हो सकते हैं, हालांकि संवैधानिक योजना के पर्याप्त अनुपालन के साथ–साथ नियम भी बनाए गए हैं, नियुक्ति इस अर्थ में अनियमित हो सकती है कि कुछ नियमों के कुछ प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया होगा।

13. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम् सोमवीर सिंह 1 में यह कहा गया हैः (एस0सी0सी0 पीपी. 500.01, पैरा 23.25)।

1. (2006) 5 एस0सी0सी0 493 रू 2006 एस0सी0सी0 (एल एंड एस) 1152 अपीलकर्ता द्वारा अपनाई गई आरक्षण नीति को बरकरार नहीं रखा गया था। यहां तक कि अल्पसंख्यकों के मामलों पर भी उचित विचार नहीं किया गया। .....

(जोर दिया गया)

28. सत्य प्रकाश और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य ;2010 4 एससीसी 179 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अनियमित और अवैध नियुक्ति और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच अंतर की व्याख्या करने का अवसर था। यहाँ निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः– .

''10. सेवा न्यायशास्त्र में नियमितीकरण और स्थायित्व प्रदान करने के बीच अंतर को ध्यान में रखने की आवश्यकता को इस न्यायालय द्वारा आर0एन0 नंजुंदप्पा केस 2 के निम्नलिखित अंश का हवाला देकर भी उजागर किया गया है, जो इस प्रकार हैः ;नंजुंडप्पा केस 2 एस0सी0सी0 पृष्ठ 416 पैरा 26) ''26. ..... यदि नियुक्ति स्वयं नियमों का उल्लंघन है या यदि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है तो यह अवैध है

2. (1972) 1 एससीसी 409 को नियमित नहीं किया जा सकता। किसी ऐसे कार्य का अनुसमर्थन या नियमितीकरण संभव है जो प्राधिकरण की शक्ति और प्रांत के भीतर है लेकिन प्रक्रिया या तरीके के साथ कुछ गैर अनुपालन हुआ है जो नियुक्ति की जड़ तक नहीं जाता है। नियमितीकरण को भर्ती का एक तरीका नहीं कहा जा सकता।'' (जोर दिया गया)

29. भूपेन्द्र नाथ हजारिका और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य ए ;2013 2 एससीसी 516 के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा उपरोक्त प्राधिकारी स्पष्ट रूप से सिद्धांत निर्धारित करते हैं कि जब भर्ती नियमों का उल्लंघन होता है भर्ती टिकाऊ नहीं है।

30. वर्तमान मामले में, रिक्ति को भरने से पहले, भर्ती की निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया हैः

(i) रिक्ति को भरने का प्रस्ताव प्रबंधन समिति द्वारा जिला सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं किया गया था और जिला सहायक रजिस्ट्रार ने इसे उप रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए अग्रेषित नहीं किया था।

(ii) उप रजिस्ट्रार ने रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

(iii) 2021 के WP S/S 925 को छोड़कर, किसी अन्य मामले में, विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। यहां तक कि 2021 के WP S/S नंबर 925 में भी विज्ञापन दिनांक 16.10.2018 की अधिसूचना के अनुसार नहीं है।

(iv) दिनांक 16.10.2018 की अधिसूचना द्वारा गठित चयन समिति का गठन आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए नहीं किया गया है।

(v) विज्ञापन, आवेदन, कार्यवाही सहित भर्ती का पूरा रिकॉर्ड रजिस्ट्रार की मंजूरी लेने के लिए उप रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

31. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। नियुक्तियाँ दिनांक 16.10.2018 की अधिसूचना का पूर्णतः उल्लंघन कर की गई हैं। नियुक्तियां अवैध हैं, अनियमित नहीं हैं। यह प्रक्रिया का विवरण है।

32. प्रश्न यह है कि क्या नियुक्तियाँ रद्द करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था?

33. निःसंदेह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ऑडी अल्टरेम पार्टेम का बहुत महत्व है, जो कानून का भी स्थापित सिद्धांत है व यह महज औपचारिकता नहीं है।

34. यह न्यायालय पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुका है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियाँ अवैध थीं। अब यदि विवादित आदेशों को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि नियुक्तियों को रद्द करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, तो इसके परिणामस्वरूप नियुक्ति आदेश फिर से बहाल हो जाएंगे, जो अवैध हैं। क्या यह किया जाना चाहिए? या यह किया जा सकता है? एम0सी0 मेहता बनाम् भारत संघ और अन्य (1999) 6 एस0सी0सी0 237 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''उपरोक्त मामला इस प्रस्ताव के लिए एक स्पष्ट प्राधिकारी है कि न्यायालय के लिए इसे रद्द करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। एक आदेश केवल इसलिए कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत या कर सकता है अनुच्छेद 226 आदेश को रद्द करने के अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार करता है यदि इस तरह रद्द करने से याचिकाकर्ता के पक्ष में और विपरीत पक्ष के खिलाफ पहले पारित एक और आदेश बहाल हो जाएगा, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है या अन्यथा इसके अनुरूप नहीं है। कानून के साथ।''

35. इसके अलावा एमसी मेहता ;सुप्राद्ध के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः— .

''19. भारत पेट्रोलियम के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि एक बार प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होने पर न्यायालय आदेशों को रद्द करने के लिए बाध्य था और राहत से इन्कार करने का कोई विवेक नहीं था और किसी अन्य पूर्वाग्रह को साबित करने की आवश्यकता नहीं थी।

''20. यह सच है कि रिज बनाम् बाल्डविन3 में यह माना गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन अपने आप में राहत देने के लिए पर्याप्त है और आगे कोई वास्तविक पूर्वाग्रह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी सच है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांतों का पालन किया गया है

3. 1964 ए0सी0 40: (1963) 2 सभी ई0आर0 66ए एच0एल0 कई मामले लेकिन हम बता सकते हैं कि इस न्यायालय ने कोई पूर्ण नियम नहीं बनाया है। यह एस0एल0

कपूर बनाम् जगमोहन मामले में चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. के फैसले से स्पष्ट है। बताने के बाद (एस0सी0सी0 पृष्ठ 395ए पर पैरा 24) कि ''प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस बात पर निर्भर कोई बहिष्करणीय नियम नहीं जानते हैं कि अगर प्राकृतिक न्याय का पालन किया गया होता तो इससे कोई फर्क पड़ता या नही् और प्राकृतिक न्याय का पालन न करना किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह है और स्वतंत्र रूप से पूर्वाग्रह का प्रमाण है।'' प्राकृतिक न्याय से इनकार का प्रमाण अनावश्यक है'' चिन्नप्पा रेड्डी, जे. ने एक महत्वपूर्ण योग्यता भी निर्धारित की है: (एस0सी0सी0 पृष्ठ 395ए पैरा 24) ''जैसा कि हमने पहले कहा था कि स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों पर केवल एक निष्कर्ष संभव है और कानून के तहत केवल एक दंड की अनुमति है, अदालत प्राकृतिक न्याय के पालन के लिए बाध्य करने के लिए अपनी रिट जारी नहीं कर सकती ह, इसलिए नहीं कि प्राकृतिक न्याय का पालन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसलिए कि अदालतें निरर्थक रिट जारी नहीं करती हैं।'' (जोर दिया गया)

21. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति पर केवल एक ही निष्कर्ष संभव और स्वीकार्य है, तो न्यायालय को केवल इसलिए रिट जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

36. यूपी राज्य बनाम् सुधीर कुमार सिंह और अन्य ए 2020 एस0सी0सी0 ऑनलाईन एस0सी0 847 के मामले में ए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पालन की आवश्यकता पर चर्चा की और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

''39.उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण से इस प्रकार पता चलता है:-

(1) प्राकृतिक न्याय न्यायपालिका के हाथों में एक लचीला उपकरण है जो अन्याय को दूर करने के लिए उपयुक्त मामलों तक पहुंचता है। ऑडी अल्टरम पार्टम नियम का उल्लंघन बिना अधिक जानकारी के, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि इसके कारण पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।

(2) जहां कानून के प्रक्रियात्मक औरध्या मूल प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करते हैंए उनके उल्लंघन से पारित आदेश अमान्य नहीं होते हैं। यहां भी, कानून के अनिवार्य प्रावधान के मामले को छोड़कर, जो न केवल व्यक्तिगत हित में, बल्कि सार्वजनिक हित में भी हैए वादी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होना चाहिए।

4. (1980) 4 एससीसी 379 (3) प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत करने वाले व्यक्ति पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होता हैए जहां ऐसा व्यक्ति उसके या उसके खिलाफ मामले पर विवाद नहीं करता है। यह रोकए स्वीकृतिए छूट और गैर.चुनौती या गैर. इनकार या तथ्यों को स्वीकार करने के कारण हो सकता हैए ऐसे मामलों में जहां न्यायालय तथ्यों पर पाता है कि इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई वास्तविक पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत करने वाला व्यक्ति।

(4) ऐसे मामलों में जहां तथ्यों को स्वीकार किया जा सकता है या निर्विवाद कहा जा सकता हैए और केवल एक निष्कर्ष संभव हैए अदालत रद्द करने या रिमांड के निरर्थक आदेश पारित नहीं करती हैए जब वास्तव मेंए कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। यह निष्कर्ष किसी मामले के तथ्यों के मूल्यांकन पर न्यायालय द्वारा निकाला जाना चाहिएए न कि उस प्राधिकारी द्वारा जो किसी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय से वंचित करता है।

(5) ''पूर्वाग्रहष् अपवाद किसी वादी के प्रति मात्र आशंका या यहां तक कि उचित संदेह से भी अधिक होना चाहिए। यह एक तथ्य के रूप में मौजूद होना चाहिएए या प्राकृतिक न्याय के गैर.पालन से उत्पन्न होने वाले पूर्वाग्रह की संभावना के एक निश्चित अनुमान पर आधारित होना चाहिए।''

37. इस बिंदु पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील से जानना चाहा कि याचिकाकर्ताओं के दावे का आधार क्या है। इसके लिए यह प्रस्तुत किया गया है कि तत्काल मामले में वास्तव में रजिस्ट्रार नियुक्ति प्राधिकारी है और उसने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और यह रजिस्ट्रार है जो अधिनियम की धारा 126 के तहत अन्यथा प्रस्ताव को रद्द कर सकता था जो उसने नहीं किया था।

38. यह सच है कि अधिनियम की धारा 126 के तहत, रजिस्ट्रार को किसी प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार है। दरअसल इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया दी गई है। अधिनियम की धारा 126 इस प्रकार है:-

''126. किसी सहकारी समिति के संकल्प को रद्द करने या कुछ मामलों में सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। . रजिस्ट्रार .

(i) प्रबंधन समिति या किसी सहकारी समिति की आम सभा द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को रद्द करना या

(ii) किसी सह.अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द करें ऑपरेटिव सोसायटी:

यदि उसकी राय है कि संकल्प या आदेश जैसा भी मामला हो सोसायटी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है या इस अधिनियम के प्रावधानों नियमों या सोसायटी के उपनियमों का उल्लंघन है जिसके बाद ऐसा प्रत्येक संकल्प या आदेश शून्य और निष्क्रिय हो जाएगा और सोसायटी के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा ।

बशर्ते, रजिस्ट्रार, कोई भी आदेश देने से पहले प्रबंधन समिति सामान्य निकाय या सहकारी समिति के अधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह समाधान पर या जैसा भी मामला हो आदेश पर ऐसी अवधि के भीतर पुनर्विचार करे जो वह तय कर सकता है। लेकिन जो पंद्रह दिनों से कम नहीं होगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसी अवधि के दौरान उस संकल्प या आदेश के संचालन पर रोक लगा सकता है।

प्रयोज्यता. रजिस्ट्रार आम सभा के किसी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय है कि यह प्रस्ताव अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे प्रस्ताव से व्यथित पक्ष रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करने और उनसे समाधान को वार्षिक करने का अनुरोध करने का हकदार है।''

39. याचिकाकर्ताओं का मामला है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेजा गया था जिन्होंने इसे मंजूरी दे दी। लेकिन फिर यदि नियमों के अनुसार कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और अनुमोदन मांगा जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ऐसी मंजूरी सभी कार्यवाहियों को मान्य करती है? यह नहीं है। रजिस्ट्रार की मंजूरी मात्र से इसे मान्य नहीं किया जा सकता अवैधता जो पूरी प्रक्रिया में अंतर्निहित थी। उप रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति के बिना रिक्तियों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता था विज्ञापन काफी विस्तार से बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चयन समिति द्वारा किया जा सकता था लेकिन इसका गठन नहीं किया गया। केवल इसलिए कि रजिस्ट्रार ने एक चरण में मंजूरी दे दी है, यह अवैधता को मान्य नहीं करता है। मेरिट सूची तैयार होने के बाद संपूर्ण कार्यवाही (विज्ञापन, आवेदन, चयन समिति की कार्यवाही) उप रजिस्ट्रार की अनुशंसा के साथ उप रजिस्ट्रार के माध्यम से रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जानी चाहिए थी। मौजूदा मामले में ऐसा नहीं किया गया। रजिस्ट्रार की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकते थे। ऐसा नहीं किया गया है।

40. इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना महज औपचारिकता होगी। और यदि अवसर नहीं दिया गया था, तो यह विवादित आदेशों को अमान्य नहीं करता है।

41. याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियाँ अवैध थीं। इसलिए इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति रद्द करने के आदेशों में कोई अवैधता नहीं है।

42. इसके मद्देनजर, रिट याचिकाएं प्रवेश चरण में ही खारिज किए जाने योग्य हैं।

43. रिट याचिकाएं तत्काल खारिज की जाती हैं।

(रवींद्र मैठाणी, जे.) **05.10.2021** अवनीतध्